Seventeenth Loksabha

an>

12.10 hrs

Title: Statutory Resolutions regarding approval to amend the Eighth Schedule to the Finance Act, 2002 in order to revise Special Additional Excise Duty on Aviation Turbine Fuel (Resolution Adopted).

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मेरी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की ओर से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

"वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 25/2022-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022 [सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि विमानन टरबाइन ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को संशोधित किया जा सके।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 25/2022-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022 [सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि विमानन टरबाइन ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को संशोधित किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

____

-